पदार्थ जो पर्यावरण के लिये हानिकारक हैं, ऐसे रासायनिक या भौतिक रासायनिक पदार्थ जो मानव जीवन के लिये हानिकारक हों। इस अधिनियम के दूसरे अध्याय में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का ब्योरा मिलता है कि वह पर्यावरण और प्रदूषण की रोकथाम के लिये क्या-क्या कर सकती है। तीसरे अध्याय में पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन की विवेचना की गई है। चौथा अध्याय में पर्यावरण संबंधी अपराध की व्याख्या मिलती है कि किस तरह पर्यावरण के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही की जानी चाहिए। शिवानन्द नौटियाल ने इन सभी चीजों की विस्तृत व्याख्या की है।[8]

पर्यावरण संबंधी कानून (Laws Relating to Environment)

यद्यपि पर्यावरण को लेकर गत दो दशकों से जितनी चिन्ता व्यक्त की जा रही है, उतनी पहले नहीं थी पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय सरकार अथवा अंग्रेजी सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही न की हो। अनेक पर्यावरण संबंधी कानून बनाये गये हैं। किन्तु पर्यावरण को लेकर जितनी जागरूकता समाज में आज उत्पन्न हुई, वह पहले नहीं थी। यदि पहले ही समाज जागरूक हो गया होता तो पर्यावरण का यह जान लेवा रूप सामने नहीं आता। पर्यावरण को हानि न पहुँच सके इसलिये अंग्रेजों ने भी अनेक कानून बनाये।

उदाहरण के लिये -

1. भारतीय बन्दरगाह अधिनियम, (1901)
2. द बंगाल स्मोक न्यूसेंस ऐक्ट, (1905)
3. द इंग्लैण्ड स्टीम वेसटेज ऐक्ट, (1917)
4. द.ए.पी. एग्रीकल्चर, पेस्ट एण्ड डिजीज ऐक्ट, (1919)
5. द इण्डियन फोरेस्ट ऐक्ट, (1927)
6. द मोटर वेहिकल ऐक्ट, (1938)
7. द दामोदर वैली कार्पोरेशन 'प्रिवेंशन - पोल्यूशन आफ वाटर' रेगुलेशन ऐक्ट, (1948)
8. द महाराष्ट प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन ऐक्ट, (1953)
9. द गुजरात स्मोक न्यूसेंस ऐक्ट, (1963)
10. द वाइल्ड लाइफ ऐक्ट, (1972)
11. वाटर ऐक्ट, (1974)

वन जीवन कानून (1972) और जल कानून 1974 अनुच्छेद 252 के तहत बनाई

8. शिवानन्द नौटियाल, पर्यावरण : समस्या और समाधान, पृष्ठ 417-429.

Scanned with CamScanner

गई प्रक्रिया के बाद बनाया गया। इस प्रक्रिया के तहत दो या ज्यादा राज्य किसी विषय पर प्रस्ताव पास करके संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं। वायु कानून 1981 स्टाकहोम में 1972 में मानवीय पर्यावरण सम्मेलन के फैसलों को लागू करने के लिये बनाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जल प्रदूषण के अध्ययन के लिये 1962 में ही एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। 1974 में यह विधेयक मंजूर किया गया। जल कानून का दायरा काफी बड़ा है। इसमें प्रदूषण मल, जल, कचरा, कारखानों का कचरा आदि की व्यापक परिभाषा दी गयी है।

जल कानून 1974 के सेक्शन 24 (1) पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस सेक्शन में प्रदूषण फैलाने वाले कचरे को जन स्त्रोतों या कुओं में बहाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। जल स्त्रोतों के नैसर्गिक प्रवाह को कुप्रभावित करने या उसमें प्रदूषण फैलाने की जानबूझ कर कोशिश या कोशिश की अनुमति को अपराध करार दिया गया है।

ये सारे कानून इस बात के साक्षी है कि सरकार पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिये प्रयासरत है किन्तु जनता और जनमानस में पर्यावरण को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए शायद वह अभी तक दिखायी नहीं पड़ रही है। सच यह है कि कानून भी हम बनाते हैं और तोड़ते भी हम ही हैं। हम पर्यावरण को सन्तुलित और अच्छा बनाने की बात करते हैं और अपने स्वार्थ और लाभ के लिये उसे मटमैला भी बनाते हैं और मन चाहे रूप में उसका दोहन भी करते हैं।

सरकार ने निः सन्देह पर्यावरण के महत्व को संविधान के निर्माण के समय ही आंक लिया था कि पर्यावरण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। पर्यावरण यदि दूषित और असन्तुलित होता है तो सम्पूर्ण सामाजिक व भौगोलिक पर्यावरण मानव जाति के और समाज के लिये हानिकारक बन जाता है। एक स्वस्थ और अच्छा पर्यावरण पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्रकार के जीव, जन्तु और मानव के लिये लाभप्रद होता है। इसीलिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के पृष्ठ 14 पर कहा गया है -

"पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।"

संविधान के इस अनुच्छेद से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पर्यावरण की रक्षा का दायित्व केन्द्र और राज्य की सरकारों पर है। यदि कोई व्यक्ति इसे अपने लाभ के लिये प्रयोग करता है तो उसे विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्ड देने का प्रावधान है। इस तरह प्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं पर्यावरण जागरूकता आन्दोलन में भारतीय संविधान भी है।

Scanned with CamScanner

पर्यावरण संरक्षण संबंधी सरकारी प्रयास
(Government Efforts Conserving Environment)

यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि पर्यावरण की भयावह स्थिति को देखकर केन्द्र और राज्य की सरकारों ने अनेक पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। यह इसका भी स्वाभाविक परिणाम है कि अखबार, मैगजीन आदि पर्यावरण पर जनता को जागरूक करने की महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की है, वहीं सरकार को भी चेतावनी दी है कि यदि पर्यावरण को प्रदूषित होने से, समय रहते बचाया नहीं जाता तो सम्पूर्ण समाज और जन जीवन के लिये घातक सिद्ध होगा। निःसन्देह पर्यावरण जागरूकता आन्दोलन में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और समाज सेवी संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी सरकारी प्रयासों की गति में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय विभिन्न पर्यावरण व वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन संवर्द्धन, समन्वय और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक केन्द्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय को देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.), अन्तर्राष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास केन्द्र (आई.सी.आई.एम. ओ.डी.) के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (यू.एन.सी.ई.डी.) की अनुवर्ती कार्यवाही पर ध्यान देता है। .... वनस्पति जीव जन्तुओं, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण, वनीकरण और अवक्रमित क्षेत्रों को फिर से हरा भरा बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना इस मंत्रालय के उत्तरदायित्व हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंत्रालय पर्यावरण प्रभावों का आंकलन पारिस्थितिकीय पुनर्रजीवन पर्यावरण एवं वन्य अनुसंधान को बढ़ावा देने, अध्ययन प्रशिक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करने तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी सभी वर्गों में मुहैया कराने का कार्य करता है।[9]"

यह उद्धरण इस बात का प्रतीक है कि भारत सरकार पर्यावरण जागरूकता आन्दोलन को इस स्तर तक ले जाना चाहती है कि सामान्य व्यक्ति भी पर्यावरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर ले और पर्यावरण की सुरक्षा, सम्वर्धन में अपना योगदान दे। यहाँ पर उचित होगा कि हम भारत सरकार के पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों की विवेचना करें। यह देखने का प्रयास भी करें कि इनका पर्यावरण जागरूकता आन्दोलन में किस स्तर पर भूमिका है। इस दृष्टि से भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी योजनायें निम्नलिखित हैं जिनका विवरण हमें भारत 2004 से प्राप्त हुआ है –

वन नीति और कानून (Forest Policy) – 1944 से ही वन नीति लागू है। इसे 1952 और 1988 में संशोधित किया गया। इस नीति के तहत वनों की सुरक्षा, संरक्षण और

---

9. भारत, 2004, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 274.

Scanned with CamScanner

विकास किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य है पर्यावरण सन्तुलन को बनाए रखना और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना।

प्रदूषण की रोकथाम (Pollution Control) - सन् 1992 में जारी प्रदूषण में कमी लाने के लिए नीतिगत बयान में भूमि, जल और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और कमी लाने हेतु नियमन, वित्तीय प्रोत्साहन, स्वैच्छिक अनुबंधों और शिक्षा कार्यक्रमों और सूचना अभियानों का प्रावधान है। नीतिगत मुद्दे इस प्रकार हैं - साफ और कम कचरा उत्पन्न करने वाले प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना। मल जल को पुनः प्रयोग करने हेतु रिसाइक्लिंग करना, जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, पर्यावरण समीक्षा करना।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम जल, और वायु प्रदूषण का परीक्षण करना, उसकी गुणवत्ता का आंकलन करना है। यह शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है। बोर्ड पर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम (1974), वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम (1981) और जल उपकर अधिनियम (1977) को लागू करने का कार्यकारी दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।.....

खतरनाक पदार्थों का प्रंबंध - खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन विभाग अपशिष्ट और सूक्ष्म जैव पदार्थों और रसायनों के प्रबंध पर नियंत्रण एवं नियोजन करने वाली केन्द्रीय एजेंसी है। ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो। ये गतिविधियाँ तीन प्रकार के मुख्य क्षेत्रों में संचालित की जाती हैं - रासायनिक सुरक्षा, खतरनाक अपशिष्टों तथा म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट पदार्थों का बेहतर प्रबन्धन। इनको केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। इसी प्रकार अनेक समाज सेवी संस्थायें हैं जो पर्यावरण के संबंध में कार्य कर रही हैं। उन्हें सरकार प्रोत्साहित भी करती है और आर्थिक सहायता भी देती है। भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी अनेक संस्थाओं की स्थापना की है जो पर्यावरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है और उनके निराकरण हेतु सुझाव भी देतीं है। अनुसंधान के द्वारा उन कार्यों को करने की सलाह भी देती है जिससे पर्यावरण समृद्ध बने और प्रदूषण रहित बन सके। यही कारण है किसी भी आयु वर्गों में पर्यावरण संबंधी शिक्षा, चेतना और पर्यावरणीय सूचना प्रणाली तंत्र के माध्यम से पर्यावरण जानकारी प्रदान करने को मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। मंत्रालय ने शैक्षणिक पाठयक्रमों में पर्यावरण शिक्षा को अलग से तथा एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की औपचारिक शिक्षा में सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण पहल की है। ये सभी भारत सरकार के कार्यक्रम पर्यावरण जागरुकता आन्दोलन के अंश कहे जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

अन्तराष्ट्रीय सहयोग की पर्यावरण उन्नयन में भूमिका (Role of International Cooperation in the Development of Environment)

सम्पूर्ण विश्व के लिये पर्यावरण संबंधी समस्यायें एक चुनौती और चेतावनी बन गयी है। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर विचार और निदान के रास्ते खोजे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, दक्षिण एशिया सहयोग पर्यावरण कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय समेकित पर्वत विकास केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, प्रादेशिक संगठनों तथा बहुपक्षीय संस्थानों के लिये प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय और उसकी ऐजेंसियों को स्वीडन, नीदरलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमरीका, कनाड़ा, जापान और जर्मनी आदि विभिन्न देशों से द्विपक्षीय सहायता मिलती हैं। विभिन्न पर्यावरण और वन परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य बहुपक्षीय, जैसे यू.एन.डी.पी., 'विश्व बैंक' एशियाई विकास बैंक, ओ.ई.सी.एफ. जापान और ओ.डी.ए. ब्रिटेन से सहायता मिलती है।[10] भारत में समय-समय पर विभिन्न देशों की पर्यावरण प्रतिनिधियों का दल आता रहता है जिसमें जापान, नीदरलैण्ड, अमेरिका आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है।

चिपको आन्दोलन (Chipko Movement)

सम्पूर्ण भारतीय आन्दोलनों की पृष्ठभूमि में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य और कारक समाहित हैं। ये वे कारक हैं जो सामन्तवादी व्यवस्था से जन्मे हैं। इस व्यवस्था से जुड़े जमीन्दार, तालुकेदार, राजा, महाजन, ठेकेदार, निर्धनों, भूमिहीन श्रमिकों का जहाँ शोषण और उत्पीड़न करते रहे हैं, वहीं महिलाओं को भी एक वस्तु की तरह प्रयोग करते रहे हैं। इन समस्त शोषणों और अत्याचारों के विरुद्ध भूमिहीन श्रमिक, जनजातियों के लोग और महिलायें एक जुट होकर सामन्तों और साम्राज्यवादी शासन से मोर्चा लेती रही हैं। अनेक बार उन्हें सफलता मिली है। यह उनके अटूट साहस, शक्ति और क्षमता का प्रतीक था, वहीं सामुदायिक एकता का भी।

चिपको आन्दोलन का परिदृश्य सभी सामाजिक आर्थिक आन्दोलनों से भिन्न है। इसका सीधा संबंध पर्यावरण से है। पहाड़ और वनों से घिरा हुआ पर्यावरण। झरनों और नदियों के मध्य बसा और फैला हुआ पर्यावरण जिसमें निवास करते हैं सीधे, सरल, निष्कपट पहाड़ वासी। इनके जीविका के साधन, वन और वन से उत्पन्न होने वाली चीजें। ये इनके जीवन के आधार है। ये इनके जीविका के एक मात्र साधन हैं। विश्व प्रसिद्ध **सुन्दर लाल बहुगुणा** का विचार है कि उत्तराखण्ड में जन्मा और चल रहा बहुचर्चित चिपको आन्दोलन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने का प्रतिकारात्मक आन्दोलन मात्र नहीं है, बल्कि प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के शब्दों में "एक प्रत्यक्ष दर्शन है,

---

10. भारत, 2004, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 293.

Scanned with CamScanner

एक जीवंत विचार है। यह मौजूदा भोगवादी सभ्यता के खिलाफ एक बगावत है। इस सभ्यता ने अपनी निरन्तर बढ़ती हुई भोगलिप्सा की तृप्ति के लिये मानव को प्रकृति का विजेता बनाकर धरती के साथ बलात्कार किया है। यह सभ्यता आज स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये पर्यावरण की समस्याओं से घिरी हुई है।[11]''

चिपको आन्दोलन का सीधा संबंध वन और वन सम्पत्ति से है। यह आज सम्पूर्ण भारत का आन्दोलन बन गया है। यह प्रथम पर्यावरणीय आन्दोलन है जो सम्पूर्ण भारत के वनों की समस्याओं से जुड़ गया है। इसीलिये इस आन्दोलन का अत्यधिक महत्त्व है। चिपको आन्दोलन का ''स्पष्ट रूप मार्च 1973 को उ. प्र. के सीमान्त ज़िला चमोली, गढ़वाल के मन्डल गांव में सामने आया। जहाँ प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद की एक खेल कूद कम्पनी को दिये गये ऐश (अंगूर) के पेड़ों को गाँव के लोगों ने काटने नहीं दिया। ये पेड़ कुछ समय पहले खेती के उपकरण बनाने के लिये उन्हें इसलिये नहीं दिये गये थे कि यह वन विभाग की दृष्टि से सम्भव नहीं था। .... इस बफिया विज्ञान को यह कह कर खुली चुनौती दी गई कि ''यदि पेड़ काटने के लिये कुल्हाड़ी वाले आयें तो हम चिपककर उनकी रक्षा करेंगे।[12]''

चिपको आन्दोलन को मूर्तरूप देने का श्रेय बहुत कुछ उत्तराखण्ड की साहसी और बहादुर महिलाओं को है। इन्होंने ने ही उन ठेकेदारों को ललकार कर कहा था कि यदि वे वनों की लकड़ी और पेड़ काटते हैं तो हम पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करेंगे। कुल्हाड़ी वाले श्रमिकों को महिलाओं ने यह कहकर खदेड़ दिया कि ''**यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे।**'' मायका शब्द एक ऐसा प्रतीक है जहाँ स्त्री को स्नेह, संरक्षण प्राप्त होता है। उसी के आंचल में वह बड़ी होती है। मायका संकट के समय सुरक्षा प्रदान करता है। इस आधार पर सम्पूर्ण वन में निवास करने वाली महिलाओं का वन किसी भी मायके से कम नहीं है क्यों वे जीविका के साधन है। क्योंकि अनादि काल से वनवासियों को जंगल से कंद, मूल, पशुओं के लिये चारा, जड़ी-बूटी और निवास करने हेतु एक प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण प्राप्त होता है। भोगवादी संस्कृति के विकास के साथ ठेकेदारों और पूँजीपतियों की गिद्ध दृष्टि जंगल पर पड़ी। वनों से आर्थिक लाभ लेना चाहते थे। इस वन लाभ के विरुद्ध वन निवासियों ने अंग्रेजी शासन काल में ही आन्दोलन छेड़ दिया था। सुन्दर लाल बहुगुणा इस संबंध में लिखते हैं-''इस पृष्ठभूमि में चिपको आन्दोलन ने वनवासियों के एक सदी पुराने दबे हुए आक्रोश को मुखरित किया। इस आन्दोलन की मांगें प्रारम्भ में आर्थिक थी, जैसे वनों और वनवासियों का शोषण करने वाली दोहन की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वनश्रमिकों की सहकारी समितियों की स्थापना, वन श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी का निर्धारण, ग्रामवासियों के हक-हकूकों की सुरक्षा, नया

---

11. सुन्दर लाल बहुगुणा, चिपको, पृष्ठ 1.
12. इन्द्रमणि सेमवाल के लेख से 'मानव और प्रकृति के प्रेम मूलक सबंधों का अभिनव जन आन्दोलन', पृष्ठ 1.

Scanned with CamScanner